(b) if so, what are the reasons therefor and what action has been taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DASMUNSHI): (a) and (b) Presently there is no ban on exports of Indian meat products of Dubai.

India's participation at Tehran Fair

2038. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item which appeared in the "Indian Express' of the 18th July, 1989 to the effect that India will participate at the Tehran International Trade Fair in the month of September, 1989; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DASMUNSHI): (a) Yes, Sir.

(b) India's participation in the Tehran International Trade Fair to be held from 16th to 28th September, 1989 will be organised by the Trade Fair Authority of India. About 30 companies from India will be taking part in the fair displaying a wide range of products in the engineering, chemicals, plastics, consumer goods, etc., sector.

"प्लानिंग बाई पीपुल इन इरिगेशन" नामक समाचार

2039. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जुलाई, 1989 को "हिन्दू" में "प्लानिंग बाई पीपुल इन इरिगेशन" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान सिंचाई क्षमता को बढ़ाने तथा उसका प्रयोग करने हेतु सामान्य जनता का सहयोग पाने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) यह समाचार देखा गया है, जिसमें ऐसे निबंध की सूचना दी गयी है, जो वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्र में अग्रिम रूप से लघु सिंचाई स्रोतों के विकास के सुझाव के बारे में है ।

(ख) क्रियान्वित किए जा रहे कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग कृषकों की भागीदारी है ।

Creation of All India Judicial Service

2040. SHRI V. GOPALSAMY:

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to create All India Judicial Service; and

(b) if so, what are its salient features?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b) The 116th Report of the Law Commission recommending the formation of All India Judicial Service has been sent to the State Governments/Union Territories for their views. The Commission has *inter alia* recommended that the recruitment to this Service may be made through the following sources:

(i) Direct recruitment by Competitive Examination	40%
(ii) Promotion from State Judicial Service	40%
(iii) From amongst Senior experienced members of the Bar	20%

It has also recommended the inclusion of persons holding posts in higher Judicial Service in various States at the time of initial Constitution of the Service. The establishment of a National Judicial Service Commission for the recruitment of the Members of the Service has been rcommended.

•

पंजाब नेशनल बैंक में अधिवक्ताओं की नामिका बनाना

2041. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब नेशनल बैंक के दिल्ली स्थित क्षेत्रीय तथा मण्डलीय कार्यालयों में अधिवक्ताओं की नामिका बनायी जाती है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से ऐसे अधिवक्ताओं के नाम क्या हैं, जिन्हें मुकदमे सौंपे गए हैं, साथ ही उन्हें कितने मुकदमे सौंपे गए हैं उन मुकदमों में कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उसके लिए शुल्क के रूप में कितनी राशि अदा की गयी है ;

(ग) इन मुकदमों के लिए अदा किए गए शुल्क के अतिरिक्त इन कार्यों के लिए अदा किए गए शुल्क का ब्यौरा क्या है, और प्राप्तकर्ताओं के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि मुकदमा सौंपने तथा शुल्क अदायगी के कार्य में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है, और यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करवाने का विचार रखती है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) पंजाब नेशनल बैंक के अनुसार वकीलों को मुकदमे सौंपने और शुल्क की अदायगी के संबंध में कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाता है । वकील को मामला सौंपने तथा उसको अदा किए जाने वाले शुल्क की राशि का निर्धारण मामले की प्रगति, मामले में अन्तर्ग्रस्त राशि, वकील की विशिष्ट विशेषज्ञता तथा वकील द्वारा मुकदमें लड़ने के बारे में बैंक का अनुभव, मामले के लिए बैंक द्वारा वकील से चाहा गया समय तथा वकील से प्रयास आदि जैसी कई बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है ।

Opinion of Attorney General of India on show cause notices issued to M|s ITC Limited

2042. SHRI VIRENDRA VERMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have since received opinion of the Attorney General of India in the matter pertaining to Director General's Inspection Order dated 10th April, 1986 in respect of M|s. ITC Limited;

(b) whether Government have issued any directive to all the Collectors of Central Excise to issue revised show cause notices in accordance with the Attorney General's opinion; if so, what are the details;

(c) what are the confirmed amounts of demand notices of each Collectorate of Central Excise served on M|s. I.T.C. Limited; and

(d) what are the reasons for not taking any effective steps to recover the confirmed demands from M|s. ITC Limited?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. All the Collectors of Central Excise were asked to take action in respect of show cause notices/demands already issued which require to be revised/ modified in view of the said opinion of the Attorney General of India.